



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली-जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:- 240/प्रा0पत्र/2020

दायरा दिनांक :-11.09.2020

GCMS ID-2020/00331

उनवान

1. कैलाश पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सुरेश आ0 भंवरलाल जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मुकेश आ0 भंवरलाल जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. बदाम बाई पत्नी भंवरलाल जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. पार्वती पुत्री श्यामा जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. पूजा पुत्री श्यामा जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. चन्द्रकान्ता पुत्री श्यामा जाति नाई निवासी बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरजमल आ0 हरदेव जाति गुर्जर निवासी मजरा बाबाजी का खेडा
2. गोपाल आ0 कैलाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाटून्दा मजरा तार का बाडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. कैलाश पिता औकार जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाटून्दा मजरा तार का बाडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. जीतमल आ0 सीताराम जाति गुर्जर निवासी जहाजपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :- श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :- एकतरफा

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 970 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 971 कबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 972 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 973 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 974 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 975 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 976 रकबा 5 बीघा, खसरा संख्या 977 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम डाटून्दा पटवार मण्डल डाटून्दा तहसील हिण्डोली में स्थित है। जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। सहखातेदार घीसूलाल जी की नाओलाद मृत्यु हो गई एवं सहखातेदार श्यामा जी की भी मृत्यु

हो गई है। श्यामा जी के वारिस प्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 है पूर्व खातेदार भंवरलाल व श्यामा जी दोनों सगे भाई थे भंवरलाल जी के वारिस प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिस पर सभी सह खातेदार आपसी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे हैं और अपनी उक्त भूमि को चाह खसरा संख्या 971 से सिंचित करते हैं प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारों तरफ की सीमाओं का लेकर पडोसी काश्तकारान विवाद पैदा करते हैं तथा भूमि की सीमा मौके पर निश्चित नहीं होने के कारण पडोसी व्यक्ति एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते हैं जिससे मौके पर विवाद होने की संभावना भी रहती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण पडोसी काश्तकारान अप्रार्थीगण की मौजूदगी में अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि पडोसी व्यक्तियों को भी प्रार्थीगण की भूमियों की सीमा की जानकारी प्राप्त हो सके और सीमाओं के बाबत विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थी की भूमि की उत्तरी साईड पर खनन क्षेत्र है जिस पर गांव के कई व्यक्ति अवैध खान कार्य कर खनन का मलबा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में डालते हैं एवं रास्ते में मलबा डालकर व कोट लगाकर रास्ते को भी अवरुद्ध करते हैं जिसके बाबत आपत्ति करने पर पडोसी व्यक्ति विवाद करते हैं प्रार्थी की भूमि के उत्तर में अप्रार्थी सुरजमल पिता हरदेव वगै० ने कब्जा कर रखा है व भूमि के दक्षिणी साईड पर अप्रार्थी गोपाल पिता कैलाश व कैलाश पिता उंकार की भूमि है। इसी प्रकार प्रार्थी की भूमि के पश्चिम में जीतमल पिता सीताराम गुर्जर की भूमि है प्रार्थी की भूमि के पडोसी व्यक्तियों द्वारा उनकी भूमि का भी नाम नहीं करवाया है और उनकी भूमियों की भी सीमा निश्चित नहीं होने के कारण सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य असमन्जस की स्थिति पैदा हो रही है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थी गण को भी अपनी भूमि की सीमा की पूर्ण जानकारी नहीं है और न ही सीमा के बाबत मौके कोई निशानात है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने का दिनांक 08.07.2020 को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण तैयार नहीं हुये और कहा कि हमे आपकी जमीन से कोई लेना देना नहीं है आप अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो अप्रार्थीगण आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने का तैयार नहीं होने से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का ाकरण उत्पन्न हुआ है और प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के सामने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं प्रार्थीगण पत्थरगढी में लगने वाली न्याय शुल्क नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की सीमा का ना करवारक अपनी सीमा पर पत्थर गडवावे। प्रार्थीगण भूमि की पत्थरगढी नियमानुसार करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक व अधिकार है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की सियम से श्रीमान को पत्थरगढी करने व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र



Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 970 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 971 कबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 972 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 973 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 974 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 975 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 976 रकबा 5 बीघा, खसरा संख्या 977 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम डाटून्दा पटवार मण्डल डाटून्दा तहसी हिण्डोली की अप्रार्थीगण के सामने व पुलिस की मौजूदगी में पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की ओर से बावजूद तामिलों के जबाव पेश नहीं किए जाने से जबाव बंद किया गया। तहसीलदार हिण्डोली से विवादित भूमि बाबत जॉच रिपोर्ट पत्रांक:-राजस्व/24/4209 दिनांक 23.12.2024 से पेश कर अंकन किया है कि विवादित भूमि खाता संख्या 36 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का कब्ज काश्त है, विवादित भूमि बाबत अन्य किसी न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाएंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियाँ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियाँ हैं। जिन पर सीमाबंदी के संबंध में कोई स्थाई निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते हैं। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076-79 वाके ग्राम डाटून्दा पटवार मण्डल डाटून्दा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 35 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में



[Signature]
मुख्य अधिकारी
हिण्डोली

किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 35 के खसरा संख्या 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 27.09 बीघा वाके ग्राम डाटून्दा पटवार मण्डल डाटून्दा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Shw 30/04/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपस्थित अधिकारी
हिण्डोली

